

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजसमन्द जिला
अनुसूचित संवत् 2077-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प प.खमना

--: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खड्डामणिया
व भू.अ.नि. पहमना की रिपोर्ट तथा शु तहसीलदार/नायब
तहसीलदार बिसुण्ड की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 58, 198 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	दामोदरपुरा	58	कैलाश पुत्र मौहनलाल जाति- चमार	कैलाश पुत्र मौहनलाल जाति- बैरवा
		198	कैलाश पुत्र मौहनलाल जाति- चमार	कैलाश पुत्र मौहनलाल जाति- बैरवा

उपखण्ड अधिकारी

रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- 34

दिनांक :- 11/10/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री कैलाश बैरवा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा सहायक कलक्टर,